संख्या–499 / 59–2–2012–15(खा) / 09

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2012

विषयः–ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजना के अन्तर्गत अवशेष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खादी बोर्ड के पत्र संख्या–92 / खा0ग्रा0बो0 / कम्प्यूटर / ई–गवर्नेन्स / 2012–13, दिनांक 24.07.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजना "आयोजनेत्तर" हेतु शासनादेश संख्या–250 / 59–2–2012–15(खा) / 2009,दिनांक 28,मई,2012 के अनुकम में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 22.00 लाख (रूपये बाईस लाख मात्र) में से अवशेष माहों के लिए धनराशि रूपये 14.70 लाख (रूपये चौदह लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. प्रस्तर–1 मे स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–1515 / दस–2012–231 / 2012, दिनांक 09–07–2012 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर– 369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0 एम0–8 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कन्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये उपलब्ध रहेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि से होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनेत्तर–105–खादी ग्रामोद्योग–24–ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराईजेशन एण्ड कनेक्टिविटी–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद" के नामे डाला जायेगा।

निदेशक

वित्त एवं लेखाधिकारी
कुटीर निदेशालय
03-09-12

194
03-9-12

6. यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस– 2012–231/2012, दिनांक 09–07–02012 में की गई व्यवस्था के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 499 (1)/59–2–2012/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, संगम पैलेस, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. एन0आई0सी0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 डी0 कल्याण)
अनु सचिव।